राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय राज0 जयपुर।

क्रमांकः प. 2 (13) ओ.एण्डएम0 / प्र.अ.का.वि. / 2021–22 / 2741-2815 दिनांकः 03-09-2021

परिपत्र

आयुक्तालय एवं विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा बीज, उर्वरक एवं पौध–संरक्षण रसायनों के लिए अनुज्ञा–पत्र संबंधी कार्य किये जाते है, उक्त कार्य कार्यालय मे कार्यरत कार्मिक यथा सहायक कृषि अधिकारी / कृषि पर्यवेक्षक एवं अन्य कार्मिक वरिष्ठ सहायक / कनिष्ठ सहायक से सम्पादित कराया जाता है। अनुज्ञा–पत्र संबंधी कार्य महत्वपूर्ण व संवेदनशील हैं। यदि एक ही कार्मिक लम्बे समय तक यह कार्य सम्पादित करता है तो कई बार अवांछित शिकायतों का कारण उत्पन्न हो जाता हैं। यह आवश्यक है कि इन कार्यों को स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से तत्परता पूर्वक संपादित किया जाए, जिससे विभाग की छवि अच्छी बनी रहे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान मे इन कार्यों की पारदर्शिता बनी रहे इस हेतु इन सीटों पर दो वर्षों के अन्तराल से कार्मिकों को बदलते रहे। यदि उक्त अवधि से कम समय मे कार्य कर रहे किसी कार्मिक की शिकायत प्राप्त होती है तो उस कार्मिक के बारे मे अपने स्तर से समुचित पड़ताल कर तत्काल उक्त कार्य किसी अन्य कार्मिक से संपादित करवायें। निर्देशों की तत्काल पालना सुनिश्चित करावें।

(डॉ0 ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि एवं
पंचायती राज (कृषि)

क्रमांकः प. 2 (13) ओ.एण्डएम0 / प्र.अ.का.वि. / 2021–22 / 2741-2815 दिनांकः 03-09-2021

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि एवं पंचायती राज (कृषि), कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान / विस्तार / अनुसंधान), मुख्यालय।
3. अनुज्ञापन अधिकारी (बीज / उर्वरक / पौध–संरक्षण), समस्त।
4. आरक्षी पंजिका।

(के0 सी0 मीना)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–302005 दूरभाष नं0 0141–2227342, Mail ID-jdagr.admn.agri@rajasthan.gov.in